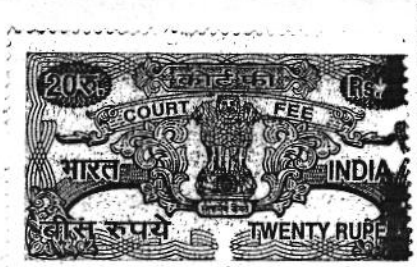

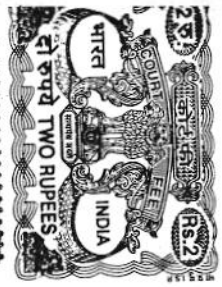

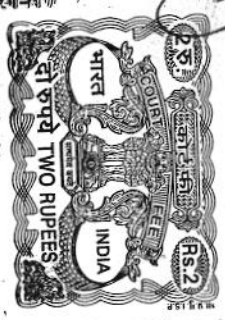

570

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१७-१८ निगरानी

निगरानी-4223/2018/मुरैना/भू.रा.

रामनारायण पुत्र लहरी रावत, निवासी ग्राम-बुरहर बावड़ी (अटार) तैहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

———— प्रार्थी

बिरुध्द

महिला भूरी बेवा सुरेश रावत, निवासिन ग्राम बावड़ी (अटार) तैहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)।

——— प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि० 7-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी बिरुध्द आदेश कलेक्टर महोदय मुरैना दिनांक २८-६-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। ७०/१७-१८ स्व० नि० ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारोंं पर प्रस्तुत है:

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय ने समस्त प्रकरण की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में जो आपत्तियां प्रार्थी ने की हैं, उनका न तो विवादित आदेशद्वारा निराकरण ही किया गया है और न ही विवादित आदेश में उनका उल्लेख ही किया गया है, ऐसी स्थिति में पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का कोई कारण भी विवादित आदेश में दर्शाया नहीं

XXIX(a)-BR(H)-11

570

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4223/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	